

243

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0- 02/15-16

म0 आबिद.....अपीलकर्ता
बनाम
म0 युसूफ.....उत्तरकारी

आदेश

29.03.2016


यह रे0मि0 अपील वाद सं0 02/15-16 म0 आबिद बनाम म0 युसूफ रसिकपुर (दुधानी) के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 351/12-13 में पारित आदेश दिनांक 23.01.15 के विरुद्ध दायर किया गया है।


मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवाद मौजा रसिकपुर के दाग सं0 970 एवं 971, 972 के बीच 2 फीट 10 ईट गली को लेकर है। अपीलकर्ता का कहना है कि यह गली दाग सं0 970 पर है। जबकि अमीन प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अनुसार यह गली दाग सं0 971 एवं 972 पर है जो बसौड़ी है एवं उत्तरकारी का है। निम्न न्यायालय में उत्तरकारी द्वारा दाग सं0 971, 972 एवं 970 का सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था। उत्तरकारी के अनुसार इस पर कोर्ट अमीन द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि गली दाग सं0 970 पर है। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा निम्न न्यायालय में आपत्ति आवेदन दाखिल कर पुनः नापी करवाने का अनुरोध किया गया है। किन्तु इस पर विचार नहीं किया गया। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत दागों का सीमांकन उभय पक्षों एवं 16/- रैयतों के समक्ष अंचल अमीन के माध्यम से करवा दिया जाय।

लेखापित एवं सशोधित।


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।